

**डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय
और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

समक्ष माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और एम.एम.एस बेदी, जे।

डॉ. राज कुमार सिवाच – याचिकाकर्ता

बनाम

चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य – उत्तरदातायों

2005 का सी.डब्ल्यू.पी. नं. 6642

21 दिसम्बर, 2006

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद-226—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और व्यवसाय में उन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) विनियम, 2000— विनियम - 2- लोक प्रशासन के अनुशासन में रीडर के पद पर प्रतिवादी 2 का चयन और नियुक्ति- चुनौती की गई- विनियम के पैरा 1.3.2 के तहत रीडर के पद के लिए आवश्यक बुनियादी योग्यता है- अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष प्रकाशित कार्य - प्रतिवादी के पास राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है - पैरा 1.3.2 में 'प्रासंगिक विषय' अभिव्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है जो रीडर की नियुक्ति से संबंधित है- क्या राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विषय एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्या एक विषय में योग्य उम्मीदवार को दूसरे विषय के पद पर नियुक्त किया जा सकता है- निर्णय- नहीं - विनियम 2 की भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में शिक्षण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अनुबंध में दिए गए उचित विषय के लिए योग्यता की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है- लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के अनुशासन अलग-अलग हैं- राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाला प्रतिवादी लोक प्रशासन के अनुशासन में रीडर के पद के लिए अयोग्य हैं।

**डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय
और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

p, विनियम 2 की भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में शिक्षण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसमें रीडर का पद भी शामिल है, जब तक कि वह अनुबंध में दिए उचित विषय के लिए योग्यता की आवश्यकता को पूरा नहीं करता हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि, अनुबंध के पैरा 1.3.2 को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। तदनुसार, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो विनियमों के तहत किसी पद पर नियुक्ति चाहता है (जिसमें रीडर का पद भी शामिल होगा), उसे अनुबंध के अनुसार उचित विषय में योग्यता से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसलिए, एक विषय में अर्हता प्राप्त व्यक्ति को दूसरे विषय में व्याख्याता के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त भेद पैरा 1.3.3 में अभिव्यक्ति 'प्रासंगिक विषय' के उपयोग पर निर्भर नहीं है क्योंकि विनियम 2 स्वयं 'उपयुक्त विषयों' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 लोक प्रशासन में रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं था क्योंकि उसके पास राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सभी योग्यताएं थीं।

(पैरा 9, 10 और 11)

याचिकाकर्ता के वकील- इंद्रपाल गोयत।

प्रतिवादी नंबर 2 के वकील - टी.एस. डींडसा।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार-

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में संक्षिप्त प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या प्रतिवादी नंबर 2 लोक प्रशासन विभाग में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के लोक प्रशासन के अनुशासन में, रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखता है।

(2) तथ्य विवादित नहीं हैं। प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन अनुशासन में रीडर के पद सहित विभिन्न पदों में सीधी भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में पूरी तरह से योग्य होने के नाते निर्धारित प्रारूप से उपरोक्त पद के लिए आवेदन

डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

दिया था। एक चयन समिति ने दिनांक 8 जुलाई, 2004 (पी-3) के कॉल लेटर के अनुसार 18 जुलाई, 2004 को याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लिया। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 2 का रीडर के रूप में चयन हुआ और वह 4 अप्रैल, 2005 को उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। लोक प्रशासन में रीडर सहित सभी पदों के विज्ञापन और आवेदन पत्र के अनुसार शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय की वेबसाइट से पता लगाई जा सकती है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर उन्नति के लिए बनाये गये न्यूनतम योग्यता विनियमन पर निर्धारित है। विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और व्यवसाय उन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) विनियम, 2000 (संक्षिप्तता के लिए, विनियम के रूप में) जाना जाता है।

विनियम के विनियम 2 के अनुसार, विभिन्न पदों के लिए योग्यता परिशिष्ट में निर्धारित की गई है। रीडर के संबंध में योग्यताएं पैरा 1.3.2 में उपलब्ध हैं। इसके लिए अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष प्रकाशित कार्य की आवश्यकता होती है। एक उम्मीदवार जो विश्वविद्यालय प्रणाली में बाहर से शामिल हुआ है, उसके पास कम से कम 55% अंक या निर्दिष्ट अनुसार बाद के ग्रेड के साथ 7 पॉइंट स्केल के समकक्ष ग्रेड बी होना आवश्यक है। आगे निर्धारित की गई आवश्यकता, जैसे की शिक्षण और/या अनुसंधान में पांच साल के अनुभव, जिसमें डिग्री प्राप्त करने के लिए खर्च की गई अवधि को निकाला जाएगा और व्यक्ति को छात्रवृत्ति के क्षेत्रों में, प्रकाशनों की गुणवत्ता, शैक्षिक नवाचार में योगदान, नए डिजाइन, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार छात्रवृत्ति के क्षेत्रों में पहचान बनानी होगी। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 के पास लोक प्रशासन में डॉक्टरेट की बुनियादी योग्यता नहीं थी। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 राजनीति विज्ञान में एम.ए. पीएच.डी. है जबकि याचिकाकर्ता, जो लोक प्रशासन में एम.ए. पीएच.डी. है और पूरी तरह से योग्य है, को नजरअंदाज कर दिया गया है। याचिका के पैरा 7 में दावा किया गया है कि रीडर के पद के लिए प्रतिवादी नंबर 2 की आवेदन जांच के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को भेजा गया था, जिसने उनके आवेदन को

डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

"अयोग्य" के रूप में चिह्नित किया गया क्योंकि उनके लोक प्रशासन में पास एम.ए. पीएच.डी. की कमी थी और इसके विपरीत उनके पास राजनीति विज्ञान में एम.ए. पीएच.डी. था। यह आरोप लगाया गया कि कार्यकारी परिषद को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा दी गई टिप्पणियों के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया और उन्होंने साक्षात्कार के लिए प्रतिवादी नंबर 2 को बुलाया, उसका चयन किया और अंततः उसे नियुक्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के माध्यम से अप्रैल 2005 को प्रतिवादी संख्या 2 की अवैध नियुक्ति के विरुद्ध (पी-5)। में एक अभ्यावेदन दिया। याचिकाकर्ता ने यूजीसी को एक पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या उपरोक्त विषय में एम.ए की डिग्री के बिना किसी व्यक्ति को लोक प्रशासन में रीडर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यूजीसी द्वारा दिया गया उत्तर यह है कि रीडर के पद के लिए संबंधित विषय यानी लोक प्रशासन में एम.ए में 55% अंकों अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है।

(3) प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर लिखित बयान में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 के पास राजनीति विज्ञान में एम.ए., एम. फिल और पीएचडी की सभी डिग्रियां हैं और उन्हें लोक प्रशासन में रीडर के रूप में चुना गया था। तर्क ये रखा गया कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की शाखाओं में से एक है, इसलिए, उनका चयन उसकी योग्यता का मूल्यांकन करते हुए चयन समिति द्वारा किया गया जिसमें प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल थे। अभिव्यक्ति 'प्रासंगिक विषय' की व्यापक रूप से व्याख्या प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा यह कहकर की गई है कि इसमें राजनीति विज्ञान जैसे संबद्ध और अंतर-अनुशासित विषय शामिल होंगे क्योंकि राजनीति विज्ञान एक मातृ विषय है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा पैरा 7 में प्रतिवादी संख्या 2 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की जांच समिति द्वारा अयोग्य घोषित करने के दावे का खंडन नहीं किया गया है। वास्तव में, यह स्वीकार किया गया है कि जांच समिति ने प्रतिवादी नंबर 2 को अयोग्य घोषित कर दिया था और इसी कारण लिखित बयान के पैरा 8 में यह कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 कार्यकारी परिषद, संवीक्षा समिति को रिपोर्ट के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य नहीं था।

डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

(4) प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर लिखित बयान में, राजनीति विज्ञान के अनुशासन में उनकी योग्यता के संबंध में व्यापक तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया गया था। हालाँकि, यह दावा किया गया है कि उनका चयन एक विशेषज्ञ निकाय के समक्ष किया गया था जिसमें प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कुलपति, जो समिति के अध्यक्ष थे, डॉ. एस.एल. गोयल, प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय (सदस्य यूजीसी सलाहकार बोर्ड) और डॉ. आर.के. तिवारी, प्रोफेसर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली शामिल थे। आगे यह भी कहा गया है कि जब विशेषज्ञ वहां मौजूद थे तो उनका चयन और नियुक्ति पूरी तरह से योग्यता के आधार पर की गई है। यूजीसी के विनियम प्रकृति को सामान्य बनाया गया है और यह दिखाने के लिए 5 मार्च, 1992 के एक पत्र (आर-2/1) पर निर्भर किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विषय परस्पर संबंधित हैं और एक उम्मीदवार जिसके पास राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री है, वे दोनों विषयों में से किसी एक में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इसके विपरीत भी।

(5) हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुना है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आई. पी. गोयत ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक मेधावी उम्मीदवार है जिसके पास लोक प्रशासन विषय में पी.एच.डी के साथ-साथ उस विषय में एम.ए की डिग्री भी है। उन्होंने हमारा ध्यान याचिकाकर्ता के बायोडेटा की ओर आकर्षित किया है, जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने वर्ष 2004 में एक पुस्तक प्रकाशित की है और प्रकाशन के लिए स्वीकृत विभिन्न अन्य लेखों के अलावा उनके तीन लेख भी प्रकाशित हुए हैं। विद्वान वकील के अनुसार याचिकाकर्ता को 9 वर्षों से अधिक समय तक व्याख्याता के रूप में काम करने का अनुभव है, जिसमें लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में एक वर्ष से अधिक समय तक स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाना और जी.एन. खालसा कॉलेज, करनाल में 8 वर्षों तक स्नातक कक्षाओं को पढ़ाना शामिल है। उन्होंनेये तर्क दिया कि जब याचिकाकर्ता के पास लोक प्रशासन से संबंधित विषय में अपेक्षित योग्यता उपलब्ध है, तो प्रतिवादी नंबर 2, जो राजनीति विज्ञान के अनुशासन से संबंधित है, का चयन और नियुक्त करने का कोई कारण नहीं बनता है। विद्वान वकील ने विनियमों (पी-4) पर निर्भर किया है और तर्क दिया है कि शैक्षणिक योग्यता

डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

प्रासंगिक विषय के संबंध में होनी चाहिए, न कि किसी संबद्ध विषय के लिए। उन्होंने उस संबंध में यू.जी.सी द्वारा याचिकाकर्ता को 13 अप्रैल, 2005 (पी-7) को भेजे गए स्पष्टीकरण पर भी भरोसा किया है। उन्होंने **डॉ. भानु प्रसाद पांडा बनाम चांसलर, संबलपुर विश्वविद्यालय**,¹ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर दृढ़ भरोसा जताया है और यह तर्क दिया है कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के विषय अलग हैं और एक राजनीति विज्ञान विषय में शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को लोक प्रशासन के तथाकथित अंतर-विषयक विषय में नियुक्त नहीं दी जा सकती है। उन्होंने हमारा ध्यान उपरोक्त फैसले के पैरा 5 की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने **गुरसिमरन कौर बनाम पंजाब राज्य**,² के मामले में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भी निर्भर किया है और तर्क दिया है कि इतिहास में एम.ए. वाले व्यक्ति को धर्म में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं ठहराया जा सकता।

(7) श्री टी.एस. डींडसा प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि जब मामला चयन निकाय को सौंप दिया जाये, जिसमें विशेषज्ञ शामिल हैं तो, अदालत को बेहद धीमी गति से काम करना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किए गए योग्य और विद्वतापूर्ण कार्य को विवाद न्यायिक समीक्षा और जांच का विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि कोर्ट ऐसी किसी भी विशेषज्ञता से सुसज्जित नहीं है और यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी नंबर 2 में सभी शैक्षणिक योग्यताएँ हैं। इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि यूजीसी विनियमों में 'प्रासंगिक विषय' अभिव्यक्ति का उपयोग केवल पैरा 1.3.3 में व्याख्याता के पद के लिए किया गया है और पैरा 1.3.2 में ऐसी कोई अभिव्यक्ति 'प्रासंगिक विषय' का उपयोग नहीं किया गया है जो रीडर की नियुक्ति से संबंधित है। उपर्युक्त आधार पर, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च के निर्णय **डॉ. भानु प्रसाद पांडा के मामले (सुप्रा)** को अलग यह यह तर्क देते हुए कहा गया कि वहां व्याख्याता का पद प्रश्न में था और अभिव्यक्ति 'प्रासंगिक विषय' का अर्थ संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित था।

¹ (2001) 8 एस.सी.सी. 532

² 1997 (1) एस.सी.एन. 706

**डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय
और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

(8) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि यह याचिका स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में योग्यता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय में शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति 'विनियम' (पी-4) द्वारा शासित होती है। उपर्युक्त 'विनियम' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ई) और (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में यूजीसी द्वारा तैयार किए गए हैं। विनियम 2 अनुसार उपयुक्त विषय के लिए योग्यताएँ अनुलग्नक में निर्धारित की गई हैं। विनियम 2 के साथ परिशिष्ट के पैरा 1.3.2 और इस प्रकार है-

"2. योग्यताएँ :

किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एफ) के तहत मान्यता प्राप्त घटक या संबद्ध कॉलेजों सहित किसी भी संस्थान में या धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान में शिक्षण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक किसी विषय में उक्त अधिनियम के तहत यदि वह अनुबंध में दिए गए उपयुक्त विषयों के लिए योग्यता को पूरा नहीं करता है।

बशर्ते कि निर्धारित योग्यता में कोई छूट केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी विशेष विषय में ही दी जा सकती है जिसमें नेट आयोजित नहीं किया जा रहा है या केवल एक निर्दिष्ट अवधि के लिए नेट योग्यता के साथ पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। (यह छूट, की यदि अनुमति दी जाती है, तो ठोस औचित्य के आधार पर ही दी जाएगी और निर्दिष्ट अवधि के लिए उस विशेष विषय के लिए प्रभावित विश्वविद्यालयों पर लागू होगी। किसी भी व्यक्तिगत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा)।

बशर्ते कि ये विनियम ऐसे मामलों पर लागू नहीं होंगे, जहां अपेक्षित न्यूनतम योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का चयन विधिवत गठित चयन समिति के माध्यम से शिक्षण पदों पर, इन विनियमों के लागू होने से पहले ही किया गया हो।

डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

"1.3.2 पाठक :

अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड के साथ डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष प्रकाशित कार्य। इनके अलावा, विश्वविद्यालय प्रणाली के बाहर से शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 55% अंक या मास्टर डिग्री स्तर पर 7 पॉइंट स्केल में बी के समकक्ष ग्रेड, ओ, ए, बी, सी, डी, ई, होना चाहिए।

अनुसंधान की डिग्री प्राप्त करने के लिए खर्च की गई अवधि को छोड़कर शिक्षण और/या अनुसंधान में पांच साल का अनुभव, प्रकाशनों की गुणवत्ता, शैक्षिक नवाचार में योगदान, नए पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या के डिजाइन के प्रमाण के रूप में छात्रवृत्ति के क्षेत्रों में एक छाप छोड़ी है।

1.3.3. व्याख्याता :

कम से कम 55% अंकों के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड या, प्रासंगिक विषय में भारतीय विश्वविद्यालय, या एक विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष मास्टर डिग्री के स्तर पर ग्रेड, ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ के साथ 7 पॉइंट स्केल में बी के समकक्ष

(15) उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवारों को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा आयोजित व्याख्याताओं के लिए पात्रता परीक्षा (एनईटी) या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

नोट.-पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए भी व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए नेट अनिवार्य है। हालाँकि, जिस उम्मीदवार ने एम.फिल. या 31 दिसंबर, 1993 तक संबंधित विषय में डिग्री या पी.डी. थीसिस जमा कर दिया, उसको नेट की परीक्षा में बैठने से छूट दी जाएगी।

(9) विनियम 2 के अवलोकन से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान में शिक्षण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह अनुबंध में दिए गए 'उपयुक्त विषयों' के लिए योग्यता की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। विनियम 2 में दो प्रावधान जुड़े हुए हैं, जो केवल दो स्थितियों में निर्धारित योग्यता में छूट की बात करते हैं - (ए)

डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

यदि यूजीसी किसी विशेष विषय में नेट परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं है या (बी) पर्याप्त संख्या में ऐसी योग्यता के साथ उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। अन्य प्रावधान उन लोगों के लिए, विनियम 2 के साथ परिशिष्ट के गैर-लागू होने पर जोर देता है, जिन्हें विनियमों के लागू होने से पहले ही एक विधिवत गठित चयन समिति के माध्यम से एक शिक्षण पद पर चुना और नियुक्त किया जा चुका है। अनुलग्नक के पैरा 1.3.2 के अनुसार, रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड के साथ डॉक्टरेट डिग्री या समकक्ष प्रकाशित कार्य होना आवश्यक है, जो लोग विश्वविद्यालय प्रणाली के बाहर से शामिल हुए हैं, उनके पास कम से कम 55% और 7 प्वाइंट स्केल में बी के समकक्ष ग्रेड होना आवश्यक है। शिक्षण और/या अनुसंधान का पांच वर्ष का अनुभव भी निर्धारित है। लेकिन इसमें शोध डिग्री प्राप्त करने में बितायी गई अवधि को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा यह आवश्यक है कि उम्मीदवार को छात्रवृत्ति के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी चाहिए, जो प्रकाशनों की गुणवत्ता, शैक्षिक नवाचार में योगदान, नए पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या के डिजाइन से प्रमाणित होना चाहिए। विनियम 2 की भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में शिक्षण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसमें रीडर का पद भी शामिल होगा, जब तक कि वह अनुबंध में दिए गए उचित विषय के लिए योग्यता की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुबंध के पैरा 1.32 को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। तदनुसार, इसका मतलब यह होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो विनियमों के तहत किसी पद पर नियुक्ति चाहता है (जिसमें रीडर का पद भी शामिल होगा), उसे अनुबंध के अनुसार उचित विषय में योग्यता से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। विवाद, यदि कोई हो, को पैरा 1.3.3 द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो व्याख्याता के पद पर नियुक्ति से संबंधित है। यह माना गया है कि, अभिव्यक्ति 'प्रासंगिक विषय' का उपयोग किया गया था, जिसका वर्तमान मामले में यह मतलब होगा कि व्याख्याता के पद के लिए लोक प्रशासन में एमए की डिग्री के साथ-साथ नेट आदि जैसे व्याख्याता के लिए पात्रता परीक्षा वाला व्यक्ति ही उचित होगा। यहां तक कि यूजीसी ने याचिकाकर्ता द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में

डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय यानी लोक प्रशासन में 55% अंकों के साथ होना आवश्यक है। (पृ-7).

(10) याचिकाकर्ता का मामला **डॉ. भानु प्रसाद पांडा के मामले (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पर्याप्त रूप से समर्थित है। फैसले का पैरा 5 जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निर्भर किया है, वह यह कहकर पूरे विवाद को किसी भी संदेह से परे रखता है कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के अनुशासन अलग हैं। अतः एक विषय में योग्यता रखने वाले व्यक्ति को दूसरे विषय में व्याख्याता पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त भेद विनियमन के साथ संलग्न अनुबंध के पैरा 1.3.3 में 'प्रासंगिक विषय' अभिव्यक्ति के उपयोग पर निर्भर नहीं है क्योंकि विनियमन 2 स्वयं 'उपयुक्त विषय' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। उपर्युक्त पैरा में एक दिलचस्प अध्ययन है, जो इस प्रकार है-

“5. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में शर्त में कहा गया है, कि "कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड या यद्यपि संबंधित विभाग में किसी भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त करना है"। यद्यपि संबंधित विभाग जिसके लिए यह मरहम बनाया गया है वह "राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन" है, जिस नियुक्ति से हम चिंतित हैं वह है, राजनीति विज्ञान में व्याख्याता न कि लोक प्रशासन में और विषय-वस्तु के अनुसार वे भिन्न हैं और एक सम्मान नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में व्याख्याताओं के पद अलग-अलग हैं और चयन पर अपीलकर्ता को लोक प्रशासन में व्याख्याता के रूप में नियुक्त नहीं किया गया जा सकता, चाहे वह राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विभाग हो क्योंकि विज्ञापन विशेष रूप से राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के रिक्त पद को भरने के लिए था। केवल इसलिए कि विभाग राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का है - एक विशेष शैक्षणिक योग्यता के अनिवार्य मानक और ग्रेड जो की "प्रासंगिक विषय" में 55% विज्ञापित किया गया है, को अनदेखा करके अनावश्यक या "प्रासंगिक विषय" का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और केवल विभाग के नाम से नहीं लिया जा सकता है, जो केवल दो

डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

अलग-अलग विषयों को समाहित करता है। केवल उस सन्दर्भ पर निर्भर करते हुए जिसका उल्लेख किया गया था या पद जो की राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग दोनों में उपलब्ध होने के रूप में संदर्भित है, को प्रासंगिक विषय, जिसके लिये पोस्ट विज्ञापित किया गया है, में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को खत्म करने या समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। नतीजतन, संकल्प संख्या 6.2 दिनांक 18 फरवरी, 1992 या बोर्ड ऑफ स्टडीज दिनांक 2 मार्च, 1996 की कार्यवाही से प्रदान किए गए उद्घरण अपीलकर्ता के दावे का समर्थन करने में कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इस मामले मार्च 1991 या दिसंबर 1992 तक, एम.फिल. या पीएचडी वाले अनुसंधान सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 55% अंकों से संबंधित शर्त में छूट देने के अनुरोध को यूजीसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, यह अपीलकर्ता के दावे पर अंतिम शब्द था और इस संबंध में कोई और विवाद नहीं उठाया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कुलाधिपति के निर्णय में कोई अपवाद नहीं दिया जा सकता है और उच्च न्यायालय के सुयोग्य निर्णय के खिलाफ इस अपील में कोई चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती है।" (अवधारण दिया गया)

(11) इस न्यायालय की खंडपीठ ने **गुरसिमरन कौर (सुप्रा)** के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 सार्वजनिक प्रशासन में रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं था क्योंकि उसके पास राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सभी योग्यताएं थीं।

(12) प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील का तर्क कि न्यायालय को अकादमिक जगत से संबंधित क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस पर किसी विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि नियुक्तियों, पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य से संबंधित मामला सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के सिद्धांत के संदर्भ में इस न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हैं। इसलिए, चयन निकाय द्वारा की गई संस्तुति केवल इसलिए न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं रह सकती क्योंकि नियुक्ति विश्वविद्यालय या कॉलेज या ऐसे संस्थानों में की जानी है। हम प्रतिवादी संख्या I निर्धारित मानक और मानदंडों

**डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय
और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

के अनुसार चल रहा है, जो यूजीसी वैधानिक विनियमों द्वारा उस पर और चयन समितियों पर बाध्यकारी हैं। यूजीसी वैधानिक विनियमों द्वारा जो उस पर और चयन समितियों पर बाध्यकारी हैं।

गुरसिमरन कौर (सुप्रा) के मामले में डिवीजन बेंच ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **डॉ.**

जे.पी. कुलश्रेष्ठ बनाम चांसलर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,³ को ध्यान रखते हुए तर्क को

खारिज कर दिया।

"इस न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि जब विवाद शैक्षणिक मामलों से जुड़ा हो तो न्यायालय को अपने फैसले को शिक्षाविदों के पक्ष में नहीं रखना चाहिए। हालांकि कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यह अविवेक का नियम है कि अदालतों को अकादमिक निकायों के निर्णयों को खारिज करने में संकोच करना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय के अंग, या उस मामले के लिए कोई भी, हमारी प्रणाली में प्राधिकारी कानून के शासन से बंधा हुआ है और अपने आप में कानून नहीं हो सकता है। यदि कुलाधिपति या कोई अन्य प्राधिकारी किसी शैक्षणिक मामले या शैक्षिक प्रश्न के बारे में निर्णय करता है, तो न्यायालय अपना हाथ पीछे रखता है: लेकिन जहां कानून के प्रावधान को पढ़ा और समझा जाना है, वहां न्यायालय को बाहर रखना उचित नहीं है। गोविंद राव के मामले में, (1964) 4 एससीआर 575 पृष्ठ 586 पर: (एआईआर 1965 एससी 491) गजेंद्रगडकर, जे।

बाद में हमारे सामने उद्धृत किए गए निर्णय गर्व से गोविंदा राग में दी गई सावधानी के अनुरूप हैं - लेकिन किसी प्राधिकारी का सम्मान करना निर्विवाद रूप से उसकी पूजा करना नहीं है क्योंकि भक्ति पंथ कानून के महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, शैक्षिक निकायों पर प्रभाव डालने वाले कानूनी

³ एआईआर 1980 एस.सी. 2141

**डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय
और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

मामलों से निपटने के दौरान शैक्षिक विशेषज्ञों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन विशेष रूप से उन पर विचार नहीं किया जाता है। इससे भी अधिक, यह स्थिति इतनी जटिल है कि अकादमिक स्वायत्तता के बारे में सिद्धांतों, का यहां कोई स्थान नहीं है। (जोर दिया गया)

(13) यह सिद्धांत कि शैक्षिक संस्थान और विश्वविद्यालय न्यायिक समीक्षा से अछूते नहीं हैं, **के. शेखर बनाम वी. इंदिराम्मा**⁴के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय से अधिक स्पष्ट हो जाता है। पैरा 21 में इसे निम्नानुसार देखा गया है-

"21. हम इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं कि निमहांस एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसे इस न्यायालय द्वारा **बीआर कपोर बनाम भारत संघ, (1989) 3 एससीसी 387** में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। यह भी सच है कि आम तौर पर बोलने वाली अदालतें शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक रही हैं। लेकिन "कानून के शासन के लिए अवज्ञा का कोई द्वीप नहीं हो सकता है"। शैक्षिक संस्थानों के कार्य, हालांकि अत्यधिक प्रतिष्ठित, न्यायिक जांच से अछूते नहीं हैं। वास्तव में, उच्च प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, संस्था के कार्यों को रंग देने वाली मनमानी या बाहरी विचारों से बचने की अधिक आवश्यकता है।

(14) उपर्युक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आलोक में प्रतिवादियों के तर्क की जांच की जानी अपेक्षित है। हम पाते हैं कि प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई दम नहीं है। हमारा यह भी मानना है कि प्रतिवादी नंबर 2 को पात्र घोषित करना अज्ञानता को चुनौती देता है क्योंकि बुनियादी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कानून अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रतीत होता है जैसा कि **डॉ भानु प्रसाद पांडा के मामले (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रतिवादी नंबर 1 जैसे विश्वविद्यालय के लिए यह उचित नहीं है कि वह याचिकाकर्ता जैसे शिक्षाविदों के हितों

⁴ (2002) 3 एस.सी.सी. 586

**डॉ. राज कुमार सिवाच बनाम चौधरी देवीलाल, विश्वविद्यालय
और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

को बाधित करे और उन्हें परिहार्य मुकदमेबाजी में शामिल होने के लिए मजबूर करे। विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों का पालन करना चाहिए था और उन्हें लागू करना चाहिए था। हम आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी चूक की पुनरावृत्ति नहीं होगी और शैक्षिक अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में अनुकूल माहौल बनाया जाएगा, जिसमें शिक्षाविदों को कानूनी विवादों से अकेला छोड़ दिया जाएगा।

(15) उपरोक्त कारणों के लिए, हम घोषित करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 2 लोक प्रशासन में रीडर के पद के लिए अयोग्य है। सार्वजनिक प्रशासन में रीडर के रूप में उनका चयन और नियुक्ति अवैध घोषित की जाती है और इसलिए रद्द की जाती है। प्रतिवादी नंबर 1 पद को फिर से विज्ञापित करने और कानून के अनुसार इसे भरने के लिए स्वतंत्र होगा, जो छात्रों को किसी भी नुकसान से बचने के लिए जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता 10,000 रुपये की लागत का हकदार माना जाता है जो प्रतिवादी नंबर से प्रदान की जानी चाहिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनमोल कक्कड़
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा